वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Telephone Connections Sanctioned from M.Ps. quota

*184. SHRI G. PRATHAPA REDDY :

DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state ;

(a) the number of pea-sons from the year 1992 who have been sanctioned telephone connections from the annual quota of Members of Parliament on priority basis but have not yet been provided; and

(b) what are the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) ; (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Proposal to take over Surat Airport from Gujarat Government

*185 SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state ;

(a) whether the Central Government has received any proposal to take over the Surat Airport in Gujarat from the State Government; and

(b) if so, what action has been taken on this proposal and what is the likely time frame therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) and (b) In January 1991. letters were received from the Government of Gujarat suggesting Surat airport to be taken over by the National Airports Authority (NAA) for upgradation. Due to paucity of resources of the NAA, it was decided that NAA would not be able to take over this airport. The State Government was informed of this on 20-6-1991.

शेयर बाजार की सदस्यता

186. **श्री मूलचन्द मीना :**

श्री मुहम्मद मसूद खान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में कितने शेयर बाजार कार्यरत हैं ;

(ख) शेयर बाजार के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में क्या नीति है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक परिवार के चार या पांच सदस्य एक ही शेयर बाजार के सदस्य बन सकते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि राजस्थान शेयर बाजार में एक परिवार के कई सदस्यों को उस शेयर बाजार का सदस्य बनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में 21 स्टाक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त हैं ।

(ख) इस समय, जहां अधिकांश स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों को सरकार द्वारा उन एक्सचेंजों के नियमों/संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार नामित किया जाता है वहीं कुछेक स्टाक एक्सचेंजों के संबंध में शासी बोर्ड/सदस्यों की साधारण सभा द्वारा इनको चुना जाता है । हाल ही में सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा एक्सचेंजों के नियमों/संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी एक्सचेंज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उस एक्सचेंज के शासी निकाय द्वारा चुने जायेंगे ।